

प्रधक,

104

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
उपरोक्त, लखनऊ  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-आगरा की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4277/10/छ/विविध/2017-18, दिनांक 01 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-आगरा की नगर निगम, आगरा की मलिन बस्ती छोटा उखरा में इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य सम्बन्धित 01 परियोजना हेतु रु0 462.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सम्बन्ध प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु0 231.135 (रूपये दो करोड़ इक्तीस लाख तेरह हजार पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नालय-योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर स्त्री जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायगा।
- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
- उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

महोदय/कार्यक्रम अध्या।

८/६५  
६२२३।।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूड़ा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूड़ा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दिविराष्ट्रित/अनुरावृत्ति न हो, यह सूड़ा/डूड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राज्ञकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का ज्ञान, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगा।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2017-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूड़ा/डूड़ा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-इ-8-871/दस-2018, दिनांक 19 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त

मंत्री  
अनिल कुमार बाजपेयी  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या- 111 /2018/255(1)/69-1-18, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
  2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
  3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
  4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मत्तर्क कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
  5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा।
  6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
  7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
  8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
  9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
  11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
  12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- ।।। /2018/255(1)/69-1-18-06(म0ब0-83)/2018, दिनांक २२ मार्च, 2018  
का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	दस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	न००५७, आगरा	वार्ड नं० ५७ की म००५७ मलिन दस्ती छोटा उखरा में चरन सिंह के मकान से राजवीर के मकान तक, चौक, मुकेश के मकान से अरुन के मकान तक, विक्रम के मकान से भोलाराम के मकान तक, जुमनादास के मकान से मुरारीलाल के मकान तक, रमेश चन्द्र के मकान से संतोष के मकान तक, ब्रान्व, राम प्रसाद के मकान से शंकर लाल के मकान तक, दिलेश चहल के मकान से समीर के मकान तक, पवन के मकान से लक्ष्मन के मकान तक, औरो नाथ के मकान से नतथीलाल के मकान तक, गिरोज सिंह के मकान से गोरीशंकर के मकान तक, खाली प्लाट से विक्की के मकान मकान तक, भूत सिंह के मकान से राकेश के मकान तक, मुन्जालीला के मकान से पप्पे राठौर के मकान तक, धनाराम के मकान से भोले के मकान तक, रमेशचन्द्र के मकान से बी०बी० राजपूत के मकान से गौरलाल के मकान तक, भूप सिंह के मकान से रामकलीला के मकान तक, भूप सिंह के मकान से कै०बी० राशजलाल के मकान से सुरेश के मकान तक, स्कूल से मन्दिर तक, राजू के मकान से सतीश के मकान होते हुये जयन्ती के मकान तक, राजेन्द्र कुमार के मकान से निर्मला देवी के मकान तक, गुलाव सिंह के मकान से अशोक के मकान तक, सुरेश के मकान से संजय के मकान तक, कप्तान के मकान से हरीशंकर के मकान तक, ओम प्रकाश के मकान से मनोज गुप्ता के मकान तक, किशोर के मकान से पोप सिंह के मकान तक, दीवान सिंह के मकान से नन्हे मल के मकान तक, सिकन्दर के मकान से अनिल के मकान तक, रामबाबू के मकान से प्रभुदयाल के मकान तक काजीलाल के मकान से प्यारेलाल स्कूल तक, खेमचन्द्र के मकान से राम निवास के मकान तक, राम निवास से लालाराम के मकान तक, गीताराम के मकान से राकेश के मकान तक, दीप बिल्डिंग मैटीरियल से गुरु दयाल तक, राधेश्याम के मकान से पण्डित तक, सत्यदेव पाराशर से	462.27	231.135

		ओम प्रकाश के मकान तक, कालीघरन दुबे के मकान से दरोगा के मकान तक, श्रीराम इण्टर कॉलेज से महताब के मकान तक, दिनेशचन्द्र के मकान से राकेश शर्मा के मकान से ब्रान्च तथा खाली प्लाट से राधेश्याम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
योग (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख तेरह हजार पाँच सौ मात्र)।	462.27	231.135		

(अधिलालन्दद्वहमचारी)

मैत्र सचिव॥